कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

कमांक. एफ. / स्टोर. / 2025 / 456

दिनांक 04.08.2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर) मे उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री जैसे लकडी व लोहे का फर्नीचर, कम्पूटर, कूलर, व अन्य सामग्री की सावजनिक नीलामी जंहा है जैसी है अवस्था में दिंनाक 20.8.2025 को दोपहर 12.30 बजे से संस्थान परिसर में प्रारम्भ कर उसी दिन समाप्त की जायेगी जो भी कबाडी / व्यवसायी / व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार आदि उक्त अनुपयोगी सामग्री को खरीदने के इच्छुक है वो निलामी दिवस के दिन दोपहर 12.00 बजे से पूर्व धरोहर राशि रू. 10,000 जमा करवाकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है।

नीलामी की अन्य शतो की जानकारी एव सामान का निरीक्षण दिंनाक 18 व 19 अगस्त 2025 कार्य दिवस एव कार्यालय समय के दौरान संस्थान मे किया जा सकता है।

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव प्रसारण हेतु

1.श्रीमान उपनिदेशक एंव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2.श्रीमान जिलाधीश, जिलाधीश कार्यलय बीकानेर।
3.श्रीमान कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4.श्रीमान वित्तनियत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5.श्रीमान जनसम्पर्क सूचना अधिकारी, बीकानेर।
6. सूचना पट, आई. ए.बी.एम. बीकानेर।

निदेशक

नीलामी की शर्ते

1- उपरोक्त सामान का कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान ;आई. ए. बी. एम. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में नीलामी दिनांक से दो दिन पूर्व कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकता है ।

2- नीलामी से पूर्व बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धरोहर राशि रू. 10,000 ₹ नगद जमा करानी होगी। यह राशि नीलामी के दिन नीलामी से पूर्व सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक जमा कराई जा सकती है ।

3- नीलामी की कार्यवाही आई. ए. बी. एम. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में बन्द स्थान पर की जायेगी । जिसमें केवल अधिकृत बोली लगाने वाले जिन व्यक्तियों के पास धरोहर राशि जमा की रसीद हो उसी को ही प्रवेश दिया जावेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर प्रवेश नही दिया जायेगा ।

4- अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि मोके पर ही नकद जमा करानी होगी व शेष राशि 05 दिन के भीतर जमा करानी होगी । नीलामी की पूर्ण राशि जमा होने पर ही सामान सुपुद्र किया जायेगा । अगर बोलीदाता 05 दिन के भीतर शेष राशि 75 प्रतिशत राशि जमा नही कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी ।

5- किसी भी विवाद व अन्य मामलों में कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

6- किसी भी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।

7- अगर नीलामी कमेटी को किसी सामान की अनुमानित राशि नीलामी द्वारा प्राप्त नही हो रही है तो कमेटी को उस सामान की नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8- विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी नीलामी में भाग नही ले सकता है।

9- नीलामी सामान ले जाने की पूर्ण व्यवस्था बोलीदाता की होगी।

10- सामान जहां है जैसा है के आधार पर नीलाम किया जायेगा।

11- ब्रिकी किए गए सामान की किसी भी प्रकार के कर की जिम्मेदारी अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को वहन करनी होगी, कर संबधी कायवार्ही के पूर्ण होने के पश्चात ही सामान सुपुर्द किया जाएगा।

12- सफल बोलीदाता फर्म के पास राज्य भारत सरकार द्वारा प्रदत ई कचरा निस्तारण का पजींयन प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

13- अगर सभी सामान की निलामी दि. 20.08.2025 को पूर्ण नही होती है तो शेष सामान की नीलामी अगले दिन को भी जारी रहेगी ।

निदेशक